

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-04/2024  
प्रेषक,

6113

पटना, दिनांक 03/10/24

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा  
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

आदित्य प्रकाश  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय उपबंध ₹ 200000.00 लाख रु0 (दो हजार करोड़) रु0 के विरुद्ध राशि ₹ 251.78962 लाख (दो करोड़ ईक्यावन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ बासठ) रु0 मात्र की निधि आवंटन की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक ब-15/बी0एस0जी0-12/2023-214 दिनांक-06.03.2024 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय उपबंध ₹ 200000.00 लाख रु0 (दो हजार करोड़) रु0 के विरुद्ध राशि ₹ 251.78962 लाख (दो करोड़ ईक्यावन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ बासठ) रु0 मात्र की निधि आवंटन की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37- 3054041050001 है।

2- इस राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक परिशिष्ट-I में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्य प्रमण्डलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

3- इस राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र नहीं किया जाएगा एवं जिस कार्य के लिए यह आवंटन दिया गया है, उसी कार्य के लिए इस राशि का व्यय किया जाएगा।

4- इस राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा एवं राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी।

5- उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

6- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-253/वि0 (2) दिनांक-11.03.2014 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

7- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-01-04/2024 के पृष्ठ संख्या-106/टि0 पर दिनांक-30.09.2024 को प्राप्त है।

9- इस राशि के व्यय की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ0प्र0-01-04/2024 के पृ0-107/टि0 पर दिनांक- 01.10.2024 को प्राप्त है।

विश्वसिभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2024 6113

/पटना, दिनांक 03/10/24

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2024 6113

/पटना, दिनांक 03/10/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0/ संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2024 6113

/पटना, दिनांक 03/10/24

प्रतिलिपि:- प्रबंधक, सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

22